



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1089

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 18675 वर्ष 2025

नीरज कुमार पांडे और 15 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(कों) के लिए अधिवक्ता	:	राजेश सिंह
प्रतिवादी(यों) के लिए अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश सिंह ने न्यायालय में यह अभिकथन दिया है कि याचिकाकर्ता संख्या 11 से संबंधित मामले में वर्तमान रिट याचिका को खारिज किया जाए और याचिकाकर्ता को इस मामले पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जाए।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश सिंह और राज्य के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विशाल सिंह को सुना।

3. याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर इस याचिका के माध्यम से निम्नलिखित अनुतोषों को महत्वपूर्ण अनुतोष के रूप में मांगा है:

"ए. याचिकाकर्ताओं द्वारा आरक्षी के रूप में नियुक्त होने से पहले प्रशिक्षण के दौरान व्यतीत की गई सेवा अवधि को सेवा की गणना करने और प्रशिक्षण अवधि की वेतनवृद्धि तथा 19 वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान करने के लिए प्रतिवादी प्राधिकारी को निर्देश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो शासनादेश 2/12/200 और 21/07/2011 के अनुसार हो, और साथ ही इसके बकाया का भुगतान किया जाए तथा पेंशन का पुनरीक्षण किया जाए।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बी. याचिकाकर्ताओं की सेवा अवधि की गणना नियुक्ति के दिनांक से करने और शासनादेशों के अनुसार प्रशिक्षण अवधि की वेतनवृद्धि तथा 19 वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि, बकाया राशि तथा पुनरीक्षित वेतन पेंशन प्रदान करने के लिए प्रतिवादी को परमादेश के रूप में एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

सी. मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, माननीय न्यायालय याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करे, जैसा उचित और उपयुक्त समझे, ताकि न्याय के उद्देश्यों की रक्षा हो सके, अन्यथा याचिकाकर्ताओं को अपूरणीय क्षति होगी।

डी. याचिकाकर्ताओं को याचिका की लागत प्रदान की जाए।“

4. अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने 28.4.2025 को प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष इस मामले को पहले ही अभ्यावेदित कर दिया है।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यदि इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाए कि प्रतिवादी संख्या 3 याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर ध्यान दे और उस पर विचार करे तथा कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करे, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6. उपरोक्त के दृष्टिगत, इस निर्देश के साथ इस याचिका का निस्तारण किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 3 याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदन में उठाई गई शिकायत पर विचार करे और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के दिनांक से तीन महीने की अवधि के भीतर उसका निर्णय करे।

7. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त निर्देशानुसार पारित किया जाने वाला आदेश तर्कसंगत और स्पष्ट होगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

6 जनवरी, 2026

राजेश